


# औद्योगिक एवं आवासीय भूखण्डों को प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर




औद्योगिक क्षेत्र का नाम	औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	दर (प्रति वर्गमी०) लोकेशन चार्ज अतिरिक्त	आवेदन की अन्तिम तिथि	आवंटन प्रक्रिया
औ०क्षे० एग्रो पार्क, कुर्सी रोड	तीव्र गति	8	800 से 2450	3035 / -	29.06.13	अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार द्वारा
औ०क्षे० सण्डीला, जनपद हरदोई	धीमी गति	-	450 एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड	600 / -	29.06.13	अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार द्वारा
औ०क्षे० सण्डीला, आवासीय जनपद हरदोई	धीमी गति	100	300, 200 एवं 112.5	1400 / -	15.07.13	अर्ह आवेदकों के मध्य लाटरी द्वारा

**सम्बन्धित नियम व शर्तें:-** (1) आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्रों का मूल्य धीमी गति के औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक भूखण्ड हेतु रू० 100 / - तीव्र गति औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रू० 500 / - एवं धीमी गति औद्योगिक क्षेत्र के आवासीय भूखण्ड हेतु रू० 100 / - सेल्स टैक्स 5 प्रतिशत अतिरिक्त के साथ निर्धारित है। (2) औद्योगिक भूखण्डों हेतु हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (ले-आउट प्लान सहित) व अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ पूर्ण आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय में अन्तिम तिथि को सायं 5 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। (3) आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क एवं धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में यू०पी०एस०आई०डी०सी०लि०, के नाम लखनऊ में देय, निर्धारित चालान द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, कपूरथला, लखनऊ शाखा में जमा करनी होगी।

**प्रक्रिया शुल्क:-** (4) तीव्र गति एवं धीमी गति के औ०क्षे० हेतु 1 एकड़ तक क्रमशः 2000 / -, एवं 1000 / -, 1 एकड़ से 5 एकड़ तक क्रमशः 5000 / - तथा 2500 / - तथा 5 एकड़ से अधिक हेतु क्रमशः 10000 / - एवं 5000 / - निर्धारित है।

**धरोहर राशि:-** (5) तीव्र गति के औद्योगिक भूखण्ड हेतु प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा, धीमी गति के औद्योगिक भूखण्ड हेतु प्रीमियम मूल्य का 5 प्रतिशत देय होगा तथा धीमी गति के आवासीय भूखण्ड के लिये प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा। (6) भूखण्डों के क्षेत्रफल में कभी भी परिवर्तन हो सकता है एवं भूखण्ड "जैसा है जहाँ है" के आधार पर आवंटित किया जायेगा। (7) यदि भूखण्ड की दरों में कोई पुनरीक्षण होता है तो भूखण्ड का आवंटन पत्र निर्गत करने की तिथि को लागू दरें आवंटी द्वारा देय होंगी। (8) निगम प्रबन्धन को बिना कारण बताये, किसी भी आवेदन अथवा समस्त आवंटन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा व इस सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। (9) आवंटन से सम्बन्धित अन्य सूचनायें व विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं निम्नलिखित दूरभाष संख्या तथा [www.upsidc.com](http://www.upsidc.com) पर प्राप्त की जा सकती है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक



**30प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०**

एच०आई०जी०-66, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ

फोन नं०: 0522-2321154